

२०८९ एवं प्रशासनिक सुषार क्रांति
श्रीकांगड़िक-क-श्रीप-गां

क्रमांक: प्र० २४४ श्रीकांगड़िक/व-२/१।

जयपुर, दिनांक ०७ अक्टूबर, १९११।

- आधिकारिक -

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०७ के परन्तु इस प्रदत्त शब्दितयों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, १९७९ में और संशोधन करने के लिए इसके बारा नियमित उत्तर संशोधन वर्ते हैं, अग

१०४ इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम, १९११ में है।

४४ ये तरन्त प्रभाव से प्रवृत्त हो सकते जायेंगे।

२० राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, १९७९ में -

४५ उक्त नियमों के नियम ६ के उपनियम ५ के उपनियम ५ के उपनियम ५ में प्रयोग
विधमान शब्दों और अंकों "क्रम संख्या ३, ४, और ५" के स्थान पर शब्द
और अंक "क्रम संख्या ३ और ४" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

४६ इन नियमों से संलग्न अनुसूची दो क्र०४०३० ३ के सामने स्तम्भ ५ में प्रयोग
शब्द "झाइवर" तथा विधमान अभिव्यक्ति "झाइवर" के सामने में ५ वर्ड
दो अनुभव तथा साथ ही मोटर कल्पूजों को जानकारी जिसकी जाँच दें
परीक्षण के बारा दो जावेगी " भो हटा लिये जायेंगे।

४७ इन नियमों से संलग्न अनुसूची दो क्र०४०३० ५ के सामने स्तम्भ ५ में प्रयोग
विधमान अभिव्यक्ति "५०% पदोन्नति द्वारा तथा ५०% सीढ़ी भर्ती
बारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "१००% सीढ़ी भर्ती द्वारा" प्रतिस्थापित
दो जावेगी।

४८ इन नियमों से संलग्न अनुसूची दो क्र०४०३० ५ के सामने स्तम्भ ५ में
प्रयोग विधमान अभिव्यक्ति "ैकेन्ड-टा/फ्टर-ग्रेंड-टा तथा
वर्त्ती श्रेणी सेवा के वर्मवारी" हटा ली जायेगी।

४९ इन नियमों से संलग्न अनुसूची दो क्र०४०३० ५ के सामने स्तम्भ ५ में
आई विधमान अभिव्यक्ति " भरो तथा हल्के वाहन इस्टो वालन
लाइसेंस तथा राहते में प्रमाण वरने तथा वाहन वालन दक्षता को जाँच
दें परीक्षण बारा दो जावेगी " को हटा ली जायेगी।

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

४०

४ रामलभाया,
विद्यालय शालन संचाच

राजस्थान सरकार
प्राप्ति का नियम

फॉर्म नं. २५ प्राप्ति

प्रधानपुर, दिनांक: 27.7.2004

अधिकृता

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०७ के प्रत्यक्ष द्वारा
प्रदत्त साप्तिकों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल,
राजस्थान भोटर गैराज अधीनस्थ रेवा नियम, १९७९ को और
रांशोधित करने के लिए, इसके द्वारा नियमित रूप से बनाते
हैं, जिसका नाम

संधिपत्र) नाम और प्रारम्भ - १०१ इन नियमों का

नाम राजस्थान भोटर गैराज अधीनस्थ रेवा संशोधन नियम, २००४ है।

१०१ ये तुरन्त प्रभाव देंगे।

१०२ अनुसूची का संशोधन - राजस्थान भोटर गैराज
अधीनस्थ रेवा नियम, १९७९ से संलग्न अनुसूची में -

"इन नियमों से लाभ अनुसूची को क्रम संख्या ५

के सामने स्थान सं. ३ में जारी चिह्नान गणित्यपिता

"१०० प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" के स्थान पर

गणित्यपिता "१० प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और

"१० प्रतिशत हैल्परों/वर्लीनरों में से व्यवहार द्वारा"

प्रतिस्थापित करें जायेगी।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

बीकुन्ठ

शान्ती कुमार वर्मा

प्राप्ति उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-गृ--II) विभाग

सं. एफ. 2(4)डीओपी / ए-II / 91

दिनांक : 01-07-13

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम (संशोधन) नियम, 2013 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 20 का संशोधन.— राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 के नियम 20 के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु ड्राईवर के पद पर नियुक्ति के मामले में योग्यता सूची, परीक्षा में प्राप्त अंकों और ऐसे अंकों जो, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रमों/संगठनों के यान चलाने के अनुभव की अवधि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, के आधार पर तैयार की जायेगी :

परन्तु यह और कि अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग, या यथारिथ्ति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।”

राज्यपाल के आदेश और जाम से,
(मिनेश कुमार माधव)
संयुक्त शासन सचिव